न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट डीग(राज0)

अपील सं0 03/2024(जी.सी.एम.एस. 2024/33)

व इजलास श्री रवि कुमार गोयल
(R.A.S)

उनवान

गजेन्द्र सिंह पुत्र देवीराम जाति माली निवासी ग्राम जनूथर तहसील जनूथर जिला डीग(राज0)
—अपीलाण्ट

बनाम

सरपंच ग्राम पंचायत जनूथर पंचायत समिति डीग तहसील जनूथर जिला डीग
—रैस्पोडेंट

अपील अन्तर्गत धारा 75 एलआरएक्ट विरुद्ध आदेश नामा0 संख्या 1931 दिनांक 22.03.2011,ग्राम पंचायत ग्राम पंचायत जनूथर समिति डीग

उपखण्ड अधिकारी डीग (राज.)

निर्णय दिनांकः 14.08.2024

अपीलाण्ट द्वारा यह अपील इस आशय के साथ पेश की गई है कि अपीलाण्ट की माता लक्ष्मी वेवा देवीराम की आराजी स्थित ग्राम जनूथर संबंधित दा0,खा0 संख्या 1931 है। अपीलाण्ट की माता लक्ष्मी की मृत्यु के पश्चात उनके द्वारा छोडी आराजी ग्राम जनूथर पर अपीलाण्ट काबिज चला आ रहा है। किन्तु उनकी मृत्यु के पश्चात उनके द्वारा छोडी आराजी ग्राम जनूथर में स्थित है। नामा0 संख्या 1931 जो खोला गया है उसमें अपीलाण्ट का नाम गजेन्द्र सिंह पुत्र देवीराम के स्थान पर गजराज पुत्र देवीराम गलत इन्द्राज कर दिया है जिसकी जानकारी अपी0 को दिनांक 20.02.2024 को नकल नामा0 प्राप्त करने पर हुई। ग्राम पंचायत जनूथर ने विवादित नामा0 आदेश जारी करने से पूर्व ना तो मृतक के वारिसान के नाम की सही जानकारी की गई और ना ही अपी0 से पूछताछ की गई और ना ही अपी0 को सुनवाई का अवसर प्रदान किया गया। जबकि अपी0 का नाम गजेन्द्र सिंह पुत्र देवीराम है और यही नाम उसके अन्य दस्तावेजात में दर्ज है। अपी0 का सही नाम गजेन्द्र सिंह के स्थान पर गजराज दर्ज किये जाने से अपी0 के हक पर विपरीत प्रभाव पड रहा है। सरपंच ग्राम पंचायत ने उक्त नामा0 तस्दीक किये जाने से पूर्व अपी0 को अथवा हरखासो आम को कोई नोटिस जारी नहीं किये गये ना ही कोई सुनवाई का अवसर दिया गया ना ही नामा0 पर आक्षेप मांगे गये। अतः निवेदन है कि अपील अपी0 स्वीकार फरमाई जाकर ग्राम पंचायत जनूथर का आदेश दिनांक 22.03.2011 नामा0 संख्या 1931 निरस्त कर अपी0 का नाम गजराज सिंह पुत्र देवीराम के

Ravi

Scanned with OKEN Scanner

स्थान पर गजेन्द्र सिंह पुत्र देवीराम जाति माली नि0 जनूथर तहसील जनूथर दर्ज किये जाने की आज्ञा फरमाई जावे।

अपील अपीलाण्ट दर्ज रजिस्टर की जाकर रैस्पो0/ग्राम पंचायत को जरिये नोटिस तलब किया गया। रैस्पो0/ग्राम पंचायत वावजूद सूचना व तामील के उपस्थित अदालत नहीं आये।ग्राम पंचायत जनूथर की अनुपस्थिति दर्ज की गई।

वकील अपी0 द्वारा बहस प्रस्तुत करते हुए कहा कि ग्राम पंचायत जनूथर बावजूद सूचना व तामील के उपस्थित अदालत नहीं है ऐसी स्थिति में अपील अपी0 स्वीकार फरमाई जाकर ग्राम पंचायत जनूथर का आदेश दिनांक 22.03.2011 नामा0 संख्या 1931 निरस्त कर अपी0 का नाम गजराज सिंह पुत्र देवीराम के स्थान पर गजेन्द्र सिंह पुत्र देवीराम जाति माली नि0 जनूथर तहसील जनूथर दर्ज किये जाने के आदेश किये जाने की कृपा करें।

पत्रावली पर उपलब्ध समस्त रिकार्ड का गहनतापूर्वक अध्ययन किया गया। वकील अपी0 की बहस सुनी जाकर बहस पर मनन किया गया।

ग्राम पंचायत जनूथर द्वारा पारित आदेश दिनांक 22.03.2011 नामा0 संख्या 1931 को निरस्त कर प्रकरण को पुनः सुनवाई हेतु तहसीलदार जनूथर को प्रतिप्रेषित (रिमाण्ड) किया जाना उचित समझते है।

अतः आदेश है किः—

अपील अपी0 आंशिक स्वीकार की जाकर ग्राम पंचायत जनूथर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 22.03.2011 नामा0 संख्या 1931 को निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण तहसीलदार जनूथर को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित(रिमाण्ड) किया जाता है कि अपी0 को सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत किये जाने का समुचित अवसर प्रदान करते हुए नैसर्गिक न्याय के सिद्वांत के अनुरूप सम्बन्धित राजस्व रिकार्ड, के अध्ययन उपरांत विधिनुसार पुनः उचित निर्णय पारित करें।

निर्णय प्रति तहसीलदार जनूथर को पालनार्थ प्रेषित हो।

(डॉ.रवि कुमार गोयल)
उपखण्ड अधिकारी,
डीग

निर्णय आज दिनांक 14.08.2024 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी डीग जिला डीग (राज.)

(डॉ.रवि कुमार गोयल)
उपखण्ड अधिकारी,
डीग

Scanned with OKEN Scanner